चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 28.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में श्री राज कमल क्षेत्राधिकारी लाइन्स/आंकिक की अध्यक्षता में निरीक्षक आशुतोष तिवारी,उ0नि0 ओमकार सिंह,उ0नि0 अभिषेक,मुख्य आरक्षी सतीश चन्द्र एवं मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र सिंह द्वारा VVIP/VIP भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, समन्वित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से (TOT – Training of Trainers) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को VVIP/VIP ड्यूटी के दौरान अपनाई जाने वाली आंतरिक सुरक्षा,सुरक्षा प्रबन्ध, प्रक्रियाओं, रूट सुरक्षा, एंटी-सैबोटाज चेक, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन प्रतिक्रिया, संचार व्यवस्था, सुरक्षा मानकों के लिए तय निर्देशों के दस्तावेजो (येलो बुक,ब्लू बुक, ग्रीन बुक व सुरक्षा श्रेणियों x श्रेणी से लेकर z+ व SPG cover तक तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय/ASL stands for Advanced Security Liaison के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे जनपदों एवं इकाइयों में अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित कर सकें। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन ने कहा कि VVIP/VIP भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करें। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने पर बल दिया गया

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ई-रिक्शा चालकों के साथ हुई लूट की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 04 ई-रिक्शा बैटरियां, 01 ई-रिक्शा स्टेपनी, 01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 01 कलाई घड़ी, 01 स्टील की पानी की बोतल, 01 चश्मा तथा ₹4,170 नकद बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

(1).राहुल पटेल पुत्र स्व. वीरेंद्र सिंह, निवासी शत्रुघ्नपुरी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

(2).प्रतीक उर्फ प्रियान्शु सिंह पुत्र घनश्याम सिंह, निवासी रेहुटिया, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

(3).कंचन भुजवा पुत्र मोहन लाल, निवासी खोह, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

04 ई-रिक्शा बैटरियां

01 ई-रिक्शा स्टेपनी

01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन

01 कलाई घड़ी

01 स्टील की पानी की बोतल

01 चश्मा

₹4,170 नकद

गिरफ्तारी का स्थान/समय कर्वी-
मानिकपुर रोड, खोह के पास।,दिनांक: 28.06.2026,समय: प्रातः 05:30 बजे।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 27.06.2026 को वादी बलराम द्विवेदी पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद, निवासी गोपाल कुंज, तरौहा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में तहरीर दी गई कि वह ई-रिक्शा चालक है। दिनांक 24.06.2026 की रात्रि लगभग 12:30 बजे दो व्यक्ति सवारी बनकर उसकी ई-रिक्शा में बैठे तथा पुलिस लाइन गेट नं. 02 तक चलने को कहा। वहां पहुंचने पर किराया मांगने पर दोनों ने बताया कि उनके पास नकद रुपये नहीं हैं तथा बघौड़ा स्थित घर चलने पर ₹200 किराया देने की बात कही। जब वादी बघौड़ा तालाब के पास पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एक तीसरा व्यक्ति भी आ गया। तीनों ने मिलकर वादी के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज की तथा उसका मोबाइल फोन, कलाई घड़ी, चश्मा, जेब में रखे रुपये, स्टील की पानी की बोतल लूट ली। इसके बाद ई-रिक्शा का लॉक तोड़कर फरार हो गए।बाद में जानकारी करने पर पता चला कि उक्त अभियुक्तों द्वारा 16/17.06.2026 की रात्रि में ई-रिक्शा चालक सुनील कुमार से मोबाइल फोन, बैटरी, ₹1,500 नकद एवं ई-रिक्शा की स्टेपनी तथा 17/18.06.2026 की रात्रि में ई-रिक्शा चालक चन्द्रप्रकाश से ई-रिक्शा की 04 बैटरियां एवं ₹1,250 नकद भी लूटे गए थे। पीड़ितों द्वारा जानकारी करने पर अभियुक्तों की पहचान कंचन भुजवा निवासी खोह, प्रियान्शु उर्फ प्रतीक सिंह निवासी रेहुटिया तथा राहुल पटेल निवासी शत्रुघ्नपुरी के रूप में हुई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 372/2026, धारा 309(6), 352 एवं 315(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 28.06.2026 को उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कर्वी-मानिकपुर रोड, खोह के पास से उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूट का सामान एवं ₹4,170 नकद बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह
3.उ0नि0 श्री सनी कुमार चतुर्वेदी
4.आरक्षी विपिन कुमार
5.आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह
6.रि0आरक्षी संजय यादव
7.आरक्षी प्रदीप कुमार
8.आरक्षी चालक अनिकेत

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबयें आलम व उनकी टीम द्वारा चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.06.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में वादी मोहित सिंह पुत्र संजय निवासी ग्राम चांदी बांगर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में तहरीरी सूचना दी गयी कि वह पटेल उत्सव भवन के पास एक डिब्बा से पानी की बोतल लेने गया तभी वहां खडे दो अज्ञात लोगो से मैनें साइड मांगी वो दोनो शराब के नशें में थे मुझे गाली गलौच व धक्का मुक्की करने लगे एवं अपने 07 दोस्तो को और बुला लिया व मेरी गाडी की चाबी निकाल दिया तभी मेरे दोस्त अजेन्द्र सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह भी मुझे बचाने आये तो उन्होने दोनो पर चाकू से हमला कर गिया जिससे मेरे दोस्त अजेन्द्र सिंह गंभीर रुप से घायल हो गये जिन्हे जिला अस्तपाल से प्रयागराज रेफर किया गया है। । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 373/2026 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस बनाम आकाश सोनी सहित 058 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 28.06.2026 को थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश सोनी पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनी निवासी गांधी गंज पारस ज्वैलर्स के बगल में थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री गजबये आलम

2.रि0आ0 अभिषेक यादव

3.रि0आ0 प्रान्सू